



ई मेल: tolicshimla@gmail.com

भारत सरकार/ Govt. of India

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय)

Town Official Language Implementation Committee(Offices)

मुख्य आयुक्त आयुक्त कार्यालय, रेलवे बोर्ड भवन, माल रोड, शिमला

O/o The Chairman, TOLIC & Chief Commissioner of Income Tax, Railway Board Building, Shimla.

फा.सं.मु.आ.आ./नराकास/छमाही बैठक/2020-21 / 402

दिनांक: 08/06/2020

सेवा में,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति शिमला (नाम से)
के सभी सदस्य ।

विषय: नराकास संबंधी 04 (चार) महत्वपूर्ण सूचनाएं- कृपया आवश्यक कार्रवाई करें।

महोदय/महोदया,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिमला की वर्ष 2020-21 की "प्रथम छमाही बैठक" के लिए निम्नलिखित चार विषयों पर कृपया यथाशीघ्र कार्रवाई करें।

1. कृपया अपने कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग से संबंधित "दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020" तक की अवधि की "वार्षिक रिपोर्ट" वार्षिक मूल्यांकन के लिए संलग्न प्रोफार्मा में भरकर इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें।
2. साथ ही राजभाषा के प्रयोग से संबंधित "दिनांक 01.10.2019 से 31.03.2020" तक की अवधि की "छमाही रिपोर्ट" भी संलग्न प्रोफार्मा में भरकर भेजें।
3. "वार्षिक अंशदान 2020-21" सभी कार्यालयों से विनम्र निवेदन है कि वे अंशदान का भुगतान करें। कार्यालयी चैक द्वारा अथवा सचिव नराकास के बैंक खाता संख्या 10835936138 IFSC Code SBIN0000718 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अंतरित (ट्रान्सफर) कर सकते हैं।
4. नराकास की गृह पत्रिका "यात्रा" के 24वें अंक के लिए सभी कार्यालयों से विनम्र निवेदन है कि वे अपने कार्यालय से कम-से-कम एक रचना भेजें।

प्रति:-

श्री राजेंद्र सिंह चौहान, वरि. निजी सचिव, मु.आ.आयु., *नाम/नाम*

शिमला को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य आयुक्त आयुक्त शिमला
वरि. निजी सचिव
तायरी संख्या.....

08 JUN 2020

भवदीया,
सुधा सिंह

(सुधा सिंह)

सहायक निदेशक(रा.भा.)
नराकास, सचिव शिमला।

**नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय) शिमला,
कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग वर्ष 2019-20
छमाही रिपोर्ट की अवधि:- 01-10-2019 से 31-03-2020**

कार्यालय का नाम एवं पता		
	विभागाध्यक्ष	राजभाषा अधिकारी/हिंदी अधिकारी
नाम		
पदनाम		
ई-मेल पता		
मोबाईल नंबर		
फोन नं/ फैक्स नं:-		
1.	पत्राचार	
	(क) इस अवधि में भेजे गए कुल पत्र	
	(ख) हिंदी में	
	(ग) अंग्रेजी में	
2.	(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्र	
	(ख) इनमें से कितने का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया	
	(ग) कितने का उत्तर हिंदी में दिया गया	
3.	(क) कुल अधिकारी/कर्मचारी	
	(ख) इनमें से कितने को हिंदी में कार्यसाधन ज्ञान है	
	(ग) कितने को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है	
	(घ) प्रशिक्षण के लिए शेष	
4.	(क) कुल आशुलिपिक/ टाइपिस्ट/सहायक	
	(ख) इनमें से हिंदी आशुलिपि टाइप जानने वाले	
	(ग) इस अवधि के दौरान प्रशिक्षित	
	(घ) प्रशिक्षण के लिए शेष	
5.	(क) कुल कंप्यूटर	
	(ख) कितने कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा है।	
	(ग) कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य के लिए किस सॉफ्टवेयर/ फॉन्ट का प्रयोग कर रहे हैं।	
	(घ) कंप्यूटरों पर कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में हो रहा है।	
6.	क्या आपका कार्यालय नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित है।	
7.	यदि कार्यालय अधिसूचित है तो क्या हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को नियम 8(4) के अधीन हिंदी में कार्य करने के आदेश दिए गए हैं, (प्रति संलग्न करें)	
8.	राजभाषा अधिनियम धारा 3(3)	
	कितने आदेश केवल अंग्रेजी में जारी	
9.	कितने प्रतिशत नोटिंग हिंदी में की जा रही है	
10.	कितने प्रतिशत आंतरिक कार्य जैसे रजिस्ट्रारों में प्रविष्टियां इत्यादि हिंदी में किया जा रहा है।	
11.	कार्यालय में कितने नामपत्र अभी भी अंग्रेजी में हैं।	
12.	कार्यालय में कितनी मोहरें अभी भी अंग्रेजी में हैं।	

13.	(क) क्या हिंदी में मूल कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू है।				
	(ख) इस अवधि में कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरस्कार दिए गए।				
14.	(क) कुल कितनी हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।				
	(ख) इनमें कितने कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए।				
	(ग) प्रत्येक कार्यशाला की अवधि।				
15.	इस अवधि के दौरान पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय				
	(क) हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय				
	(ख) अंग्रेजी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय				
16.	क्या हिंदी की कोई विभागीय पत्रिका प्रकाशित की जा रही है। यदि हो तो प्रति संलग्न करें।				
17.	(क) क्या कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति है				
	(ख) इस अवधि में इसकी कितनी बैठकें आयोजित की गईं।				
18.	(क) कार्यालय में हिंदी अनुवादक/अधिकारी के पदों की संख्या।				
	(ख) इनमें से रिक्त पदों की संख्या।				
	(ग) कितने हिंदी अनुवादक/अधिकारी अनुवादक ब्यूरो से प्रशिक्षण प्राप्त हैं।				
19.	(क) कार्यालय की वेबसाइट का पता				
	(ख) क्या यह द्विभाषी है।				
20.	(क) क्या रा.भा. विभाग को तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जा रही हैं।				
	(ख) यदि नहीं हो कारण बताएं।				
21.	राजभाषा के प्रयोग के लिए किए जा रहे अन्य कार्यों/ प्रयासों जैसे हिंदी दिवस/पखवाड़ा तथा अन्य पुरस्कार योजनाओं, कार्यों इत्यादि का विवरण (अलग से संलग्न करें)				
22.	(क) किस अधिकारी ने नराकास की पिछली 2 बैठकों में अपने कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया।				
	(ख) कार्यालय प्रमुख हैं अथवा प्रतिनिधि।				
23.	समिति की पिछली बैठक के दौरान आपके कार्यालय के संबंध में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण (आवश्यकता होने पर अलग शीट संलग्न की जा सकती है)				
24.	नराकास शिमला को प्रदान किए गए अंशदान का विवरण				
	वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	टिप्पणी
	राशि				
	पावती क्रमांक				

विभागाध्यक्ष/ कार्यालय के हस्ताक्षर